



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Date : 28.01.2026

File No.- NCST/ATY-2792/MHRD/37/2025-RU-IV

To,

The Director,
Indian Institute of Technology (IIT)
Roorkee-247667
District- Haridwar (Uttarakhand)
Email Id: director@iitr.ac.in

Sub: Complaint regarding introduction of discrepancies in Recruitment process to do corruption and ward off SC/ST candidates of Tribal Backward areas from the employment of non-teaching Group B & C (Non-gazetted posts) at IIT, Roorkee – letter dated 13.06.2025 of Ms. Tamanna, District Kangra (Himachal Pradesh).

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 24.12.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav

उप सचिव / Deputy Secretary

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to:-

Ms. Tamanna,
VPO - Uttarpur, Tehsil - Jaisinghpur,
District - Kangra,
Himachal Pradesh - 176095
Mobile No:9015191166

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं NCST/ATY-2792/MHRD/37/2025-RU-IV

आईआईटी, रुड़की में गैर-शैक्षणिक ग्रुप 'बी' एवं 'सी' (अराजपत्रित पदों) की भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार किए जाने तथा जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अभ्यर्थियों को रोजगार से वंचित करने के उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों के संबंध में, सुश्री तमन्ना, जिला-कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) द्वारा दिनांक 13.06.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि तथा समय : दिनांक 24.12.2025 को दोपहर 14.10 बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार

सुश्री तमन्ना, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) की शिकायत दिनांक 13.06.2025 को आयोग में प्राप्त हुई। शिकायत में उन्होंने उल्लेख किया है कि आईआईटी, रुड़की में गैर-शैक्षणिक ग्रुप बी एवं सी (अराजपत्रित) पदों की भर्ती प्रक्रिया में जानबूझकर विसंगतियाँ उत्पन्न की गई हैं, ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके तथा जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अभ्यर्थियों को रोजगार से वंचित किया जा सके। अपने आवेदन में सुश्री तमन्ना ने तीन अधिकारियों, अर्थात् श्री उदय प्रताप सिंह, उप निदेशक; श्री प्रशांत गर्ग, रजिस्ट्रार; तथा श्री भादित्य चौहान के नाम उल्लेखित किए हैं और इन सभी को SC/ST अभ्यर्थियों के विरुद्ध की गई समस्त अनियमितताओं एवं कदाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुश्री तमन्ना ने यह भी आरोप लगाया है कि इन अधिकारियों ने एक विचित्र प्रणाली विकसित की है, जिसमें छिपे हुए एवं असंगत तरीकों को अपनाया जाता है, जो भर्ती एवं सेवा की प्रत्येक अवस्था में भेदभाव को बढ़ावा देती है। इसके परिणामस्वरूप SC/ST अभ्यर्थियों को, आईआईटी रुड़की में चयनित होकर सेवा में प्रवेश करने के बाद भी, गंभीर सेवा संबंधी अत्याचारों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अंततः इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि उनकी प्रतिनिधित्व संख्या को कम किया जा सके। यह भी उल्लेख किया गया है कि आईआईटी रुड़की से सेवा त्याग (इस्तीफा) करने वाले कर्मचारियों में अधिकतम संख्या SC/ST समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की है।

आयोग द्वारा दिनांक 01.09.2025 को निदेशक, आईआईटी, रुड़की, को विषय से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक नोटिस निर्गत किया गया।

आई.आई.टी.रुड़की से प्राप्त उत्तर दिनांक 19.09.2025 को आयोग के पत्र दिनांक 03.10.2025 के माध्यम से जानकारी हेतु अभ्यावेदक को अग्रेषित किया गया।

इसके प्रत्युत्तर में आवेदिका का दिनांक 06.11.2025 का ई-मेल आयोग में प्राप्त हुआ। अपने प्रत्युत्तर/पुनरावेदन में सुश्री तमन्ना ने उल्लेख किया है कि आईआईटी रुड़की द्वारा दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत उत्तर भ्रामक, मनगढ़ंत एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाने वाला है, जिससे विशेषकर जनजातीय पृष्ठभूमि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के सेवा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

माता लक्ष्मी

5. सुनवाई के दिन रजिस्ट्रार, आईआईटी रुड़की तथा डीन (प्रशासन), आईआईटी रुड़की उपस्थित रहे। तथापि, अभ्यावेदिका सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहें।

6. सुनवाई के दौरान आईआईटी रुड़की के अधिकारियों ने अवगत कराया कि संस्थान द्वारा जारी सभी भर्ती विज्ञापन समय-समय पर आईआईटी रुड़की की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए, जिनमें लिखित/कौशल परीक्षा आधारित चयन प्रक्रिया तथा वेबसाइट के नियमित अवलोकन के निर्देश स्पष्ट रूप से उल्लिखित थे। श्रेणीवार एवं सामान्य मेरिट सूचियाँ वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। एससी/एसटी मामलों हेतु एसोसिएट प्रोफेसर स्तर के संपर्क अधिकारी की अध्यक्षता में समर्पित लिआज़न सेल भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहता है तथा रोस्टर, मांगने पर उपलब्ध कराया जाता है। लिखित परीक्षा में विसंगति अथवा हेराफेरी के आरोपों को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया गया कि वरिष्ठ प्रोफेसर की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन सेल (आरईसी) द्वारा परीक्षा का संचालन किया जाता है, जो पूर्णतः पारदर्शी एवं योग्यता-आधारित है। पिछले पाँच वर्षों में छोटे कैडर पदों को आरक्षण प्रयोजनार्थ समूहबद्ध किया गया। जाँच अवधि में कुल 60 गैर-शिक्षण कर्मचारी इस्तीफ़ा देकर संस्थान से अलग हुए इनमें से कुल 11 कर्मचारी SC/ST श्रेणी से थे जो उच्च पदों अथवा अन्य संस्थानों में चयन के उपरांत संस्थान छोड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त 14 कर्मचारी लियन पर हैं, जिनमें 4 एससी/एसटी हैं। मेरिट सूची से एससी/एसटी अभ्यर्थियों को हटाने संबंधी आरोप के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा सुश्री तमत्रा का नाम भर्ती अभिलेखों में नहीं पाया गया। प्रमोशन के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2016 से ग्रुप-बी, ग्रुप-सी एवं एमटीएस की प्रत्यक्ष भर्ती में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है, जबकि वर्ष 2012 की वेकेंसी आधारित प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत पदोन्नत में साक्षात्कार का प्रावधान विद्यमान है। वर्ष 2022 में उक्त स्कीम की समीक्षा के दौरान ग्रुप-बी/सी पदों हेतु साक्षात्कार हटाने का प्रस्ताव समिति द्वारा किया गया है, जो अनुमोदनाधीन है। संस्थान के अभिलेखों में शिकायतकर्ता अथवा उनके परिजन का कोई उल्लेख नहीं पाया गया है तथा पूर्व में विभिन्न माध्यमों से समान प्रकृति की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो असत्य पाई गई हैं।

7. सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

- (i) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आईआईटी रुड़की द्वारा गैर-शैक्षणिक पदों से संबंधित आरक्षण रोस्टर को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए।
- (ii) वेकेंसी आधारित प्रमोशन स्कीम (VBPS) के अंतर्गत एपीएआर, साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा के अंकों का श्रेणीवार एवं घटकवार विवरण आयोग को उपलब्ध कराया जाए।
- (iii) आवेदिका को निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग से संपर्क हेतु अपना वैध संपर्क मोबाइल/दूरभाष क्रमांक उपलब्ध कराए तथा अपने अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण-पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय प्रति आयोग को प्रस्तुत करें।
- (iv) आयोग द्वारा समीक्षा के उद्देश्य से निकट भविष्य में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित अधिकारी आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होंगे।

आशा लकड़ा
20/01/2026



(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Sitting to be held on 24.12.2025 at 02.10 P.M - Complaint regarding introduction of discrepancies in Recruitment process to do corruption and ward off SC/ST candidates of Tribal Backward areas from the employment of non-teaching Group B & C (Non-gazetted posts) at IIT, Roorkee - letter dated 13.06.2025 of Ms. Tamanna, District Kangra (Himachal Pradesh).

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I National Commission for Scheduled Tribes			
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II Officers from O/o Director, Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee			
1.	Prashant Garg Registrar, IIT Roorkee	James Thomson Building, IIT Roorkee	 24/12/25
2.	Indra Vir Singh Dean (Admin), IIT Roorkee	Main Building (JTB), IIT ROORKEE	 24/12/25
3.			
4.			
5.			
6.			
III Petitioners			
1.	Absent		
2.			